

## भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण

ऐसी संभावना है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत सी चुनौतियों का प्रभाव पड़ता रहेगा, क्योंकि यह आस्ति में हास और साथ ही बासेल III तथा अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों के लिए संपरिवर्तन से जूझ रहा है। इसके अलावा, एक प्रतिस्पर्द्धी और कुशल बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के समग्र उद्देश्य के अंतर्गत ऋण संवृद्धि को पुनः उत्प्रेरित करने के लिए आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का निवारण और बैंकों के तुलन-पत्रों को मजबूती प्रदान करना महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं।

### I. परिचय

I. 1 बहुत सी आभासी शुरुआतों के बाद सन 2017 में अब तक, वैश्विक संवृद्धि और व्यापार में तेजी देखी गई है जिसे समायोजी मौद्रिक नीति और प्रेरक वित्तीय स्थितियों का समर्थन मिला। व्यापारिक वस्तुओं की कीमतों में मजबूती के बावजूद विकसित और उदीयमान दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति निष्क्रिय बनी रही। वैश्विक वित्तीय बाजारों में आमतौर पर उछाल देखने को मिला और घोषणाओं सहित भौगोलिक-राजनीतिक घटनाएँ शांत अथवा अल्पकालिक रहीं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में समायोजी नीतियों, आस्तियों की समर्थक कीमतों और प्रतिलाभ की तलाश में तेजी लाने के प्रयास में आस्ति वर्ग के रूप में उदीयमान बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए निवेशक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला जिससे वहाँ पूंजी प्रवाह हुआ, अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि सापेक्षतया कमजोर समष्टि-मूलभूत सिद्धांतों वाली अर्थव्यवस्थाओं के प्रति कुछ विभेद रहे। इसके बावजूद इस आर्थिक के लिए जोखिम अभी भी अधोगामी झुकाव वाले हैं, क्योंकि वैश्विक वित्तीय स्थिरता को राजनीतिक और नीतिगत अनिश्चितताओं से खतरा है। ऐसे परिवेश में बैंकिंग विनियामकों की तैयारी बासेल III विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के सम्पूर्ण कार्यान्वयन और संशोधित वैश्विक लेखांकन मानकों को अपनाने की दिशा में है। इसी के समानांतर फिनटेक और क्रिप्टोकरेन्सी के प्रचलन जैसी गतिविधियों से अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही सामने आ रही हैं।

I.2 यद्यपि विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18

के दौरान अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार कुछ धीमी रही, जो आंशिक तौर पर जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के क्षणिक प्रभावों को दर्शाता है। समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ़ बना रहा, यद्यपि मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे रही, चालू खाता घाटा सहनीय सीमाओं के भीतर रहा और हाल ही तक राजकोषीय घाटा समेकन पथ पर बना रहा।

I.3 वित्तीय क्षेत्र की तरफ देखें तो बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति-गुणवत्ता में नावाजिब गिरावट बहुत अधिक हुई, जिससे अत्यधिक प्रावधानीकरण और डीलीवरेजिंग की जरूरत पड़ी और बैंकों की उधार देने की क्षमता पर दबाव पड़ा। परिणामस्वरूप, बैंकों की लाभदेयता और पूंजी की स्थिति में कुछ गिरावट आई, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में। इस प्रक्रिया में कारोबारियों ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए निधियों के वैकल्पिक और अधिक किफायती स्रोतों की तरफ अधिकाधिक बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे बैंकों की मध्यस्थता में कमी आई।

I.4 सन 2017-18 की पहली छमाही के दौरान पारेषण में सुधार के साथ-साथ बैंक ऋण में मामूली सुधार हुआ जो विमुद्रीकरण के बाद दिखाई दिया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल अग्रिम जो जून 2017 के अंत में 5.0 प्रतिशत थे, सितम्बर 2017 के अंत में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गए जिसका कारण था सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों ही के द्वारा ऋण वितरण में किया गया सुधार। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों में स्थिरता शुरू हुई, अलबत्ता यह उच्च स्तर पर ही रही। सकल

अग्रिमों के प्रतिशत के तौर पर कुल दबावग्रस्त आस्तियों (सकल-अनर्जक आस्तियों तथा पुनः संरचित मानक अग्रिमों को जोड़ते हुए) का प्रतिशत सन 2017-18 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान क्रमशः 12.6 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत रहा। बैंक समूहों में देखें तो पीएसबी की दबावग्रस्त आस्तियां 16 प्रतिशत के आस-पास रहीं, जबकि पीवीबी की दबावग्रस्त आस्तियां 5 प्रतिशत पर बनीं रहीं। 2017-18 की पहली छमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्लिपेज अनुपात में गिरावट रही। चूक होने के उच्च स्तर के बावजूद, लाभदेयता के संकेतक 0.4 प्रतिशत पर स्थिर रहे, जैसा कि आस्तियों पर प्रतिलाभ से प्रकट होता है। 2017-18 की दूसरी तिमाही में पूंजी स्थितियाँ (अर्थात पूंजी जोखिम-भारित आस्तित्व अनुपात) बेहतर होकर 13.7 प्रतिशत पर रहीं, जो कि विनियमों के तहत न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक है (विवरण हेतु अध्याय V देखें)।

1.5 दूसरी तरफ, मुख्यतया ऋणदाता कम्पनियों, आस्तित्व कम्पनियों और निवेश कम्पनियों द्वारा ऋण विस्तार के सहारे गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) के तुलनपत्रों में बढ़ोतरी हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के समेकित तुलनपत्र में 2017-18 की पहली छमाही में उच्चतर उधारों की सहायता से मजबूत ऋण संवृद्धि के साथ ही साल-दर-साल आधार पर 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सन 2017-18 की पहली छमाही में बैंक ऋणों में 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों के ऋणों में 14.9 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग सात प्रतिशतता अंक अधिक है। यह खुदरा और सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋणों में मजबूत बढ़ोतरी से परिचालित हुआ। गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों (डिपॉजिट नहीं लेने वाली किंतु प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण) की आस्तित्व गुणवत्ता में 2017-18 की प्रथम तिमाही में गिरावट रही थी, इसने भी द्वितीय तिमाही में कुछ सुधार दिखाया जो आंशिक तौर पर उच्चतर राइट-ऑफ को दिखाता है।

1.6 इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय के शेष भाग में कुछ ऐसे विषयों का वर्णन किया गया है जो आगामी अवधि में बैंकिंग-परिवेश को आकार प्रदान करते हुए नीतिगत कार्य सूची को स्वरूप प्रदान करेंगे।

## II. सामने आ रहे मुद्दे और नीतिगत प्रतिसाद

1.7 आस्तित्व गुणवत्ता की चिंताओं और क्रेडिट संवृद्धि को फिर से प्रबल बनाने के लिए बैंकों के तुलन-पत्रों को मजबूत बनाना साफ़ तौर पर उच्चतम प्राथमिकता है। लेखांकन मानकों में सुधार, बैंकिंग में व्यवसायगत प्रतिस्पर्धाओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा करने की दक्षता का पोषण करना इस अभियान के अन्य तत्वों में से हैं। सभी वित्तीय मध्यस्थों के बीच विनियमों को सुसंगत और सुदृढ़ बनाना और वैश्विक मानकों का अनुपालन करने फोकस इसके अन्य क्षेत्र हैं। इसके साथ-साथ डिजिटाइजेशन को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय नवोन्मेषों का प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जोखिम से निपटना नीतिगत अहम प्रतिसादों की तरफ ले जाएंगे।

*दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और बैंकों के तुलन-पत्रों को सुदृढ़ करना*

1.8 दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 के अधिनियमन और बैंकिंग विनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रवर्तन ने वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और बैंकों तथा निगमों के तुलन-पत्रों में दबाव के समाधान को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से करने के लिए आशा से परिपूर्ण सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। आरंभिक वित्तीय संकट को समझने और उसके समाधान हेतु रिज़र्व बैंक के त्वरित दृष्टिकोण और अप्रैल 2017 में शुरू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की संशोधित प्रणाली का अभिप्राय इस विश्वास को जगाना है कि भविष्य में अत्यधिक वित्तीय असंतुलनों के जमाव से बचाव कर लिया जाएगा। 'वैकल्पिक व्यवस्था' के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकन हेतु अगस्त 2017 में सरकार के सैद्धांतिक अनुमोदन और बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए समेकित रणनीति के एक हिस्से के तौर पर अक्टूबर 2017 में पीएसबी के पुनर्पूँजीकरण की व्यापक योजना इन बैंकों को सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी बनाएगी क्योंकि वे विकासशील अर्थव्यवस्था की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने हेतु तत्पर होंगे (विवरण हेतु अध्याय IV देखें)।

1.9 रिज़र्व बैंक ने भारत के लिए लोक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) विषयक उच्च स्तरीय कार्य-बल का गठन (अध्यक्ष – श्री यशवंत एम. देवस्थाली) किया है ताकि क्रेडिट बाजारों में अपारदर्शिता लाने वाली उन सूचना-असंगतियों को दूर किया जा सके, जिनसे वित्तीय संस्थानों के क्रेडिट निर्णय निरुद्ध होते हैं, जोखिम आधारित प्रभावी पर्यवेक्षण बाधित होते हैं और वित्तीय रूप से सुविधा-रहित लोग बाहर हो जाते हैं। यह कार्य-बल क्रेडिट संबंधी जानकारी की वर्तमान उपलब्धता, विद्यमान सूचना युक्तियों की पर्याप्तता और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों की समीक्षा इस लक्ष्य के साथ करेगा कि भारत के लिए एक पारदर्शी, समेकित और नियर-रियल-टाइम पीसीआर तैयार की जा सके। क्रेडिट बाजार के संचालन में सुधार के अलावा पीसीआर से अपेक्षित है कि इससे वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन, कारोबार की सहजता में सुधार और बैंकिंग प्रणाली में कदाचार के नियंत्रण में मदद मिलेगी।<sup>1</sup>

*सुदृढ़ लेखांकन मानकों का विकास (आईएफआरएस-अभिरूपित भा.ले.मा.)*

1.10 वैश्विक वित्तीय संकट और लेखांकन परिपाटी में कमियों को दूर करने के प्रयासों से प्राप्त सीख के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) का सृजन हुआ। भारत में प्रणाली-स्तर पर गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के अभिनिर्धारण में एकरूपता की जरूरत ने आईएफआरएस अभिरूपित भारतीय लेखांकन मानकों की स्थापना की अति आवश्यकता पर बल दिया। बैंकों से अपेक्षित है कि सन्निकट हानियों का संकेत देने वाली 'ट्रिगर-घटनाओं' का इंतजार करने के स्थान पर ऋण की शुरुआत के समय ही संभावित ऋण हानियों (ईसीएल) का प्रावधान करें। ऋण-चक्र में आरंभिक स्तर पर ही वास्तविक और संभावित ऋण हानियों को समझने और उनके लिए प्रावधान करने से पूर्व-आवर्तनीयता को काफी कम और वित्तीय स्थायित्व को प्रेरित किया जा सकता है।<sup>2</sup> चूंकि

1 अप्रैल 2018 से भा.ले.मा. का प्रयोग आरंभ करने पर समग्र प्रावधानों के बढ़ने की प्रत्याशा है, अतः रिज़र्व बैंक ने बासेल समिति प्रावधानों के अनुरूप ही संक्रमणकालीन व्यवस्था की है ताकि बैंकों को विनियामकीय सीमा तक अपनी पूंजी फिर से जुटाने का समय मिले।

*विभेदीकृत बैंकिंग की शुरुआत*

1.11 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों जैसे विभेदीकृत बैंकों ने अपना परिचालन 2016-17 में आरंभ कर दिया, इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने होलसेल और दीर्घकालिक वित्त बैंकों (डबल्यूएलटीएफ) की स्थापना की गुंजाइश तलाशनी शुरू कर दी, प्रथमतया इन बैंकों का फोकस अवसंरचना क्षेत्र और लघु, मध्यम तथा कॉर्पोरेट व्यवसाय को ऋण देने पर रहेगा। अप्रैल 2017 में प्रस्तुत विमर्श पत्र में डबल्यूएलटीएफ बैंकों की परिकल्पित भूमिका में प्रतिभूतिकरण के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नकदी का संग्रहण, मार्केट मेकर के तौर पर कार्य करना, ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्तीयन प्रदान करना और समूहक के तौर पर पूंजी बाजारों में संचालन शामिल हैं। यह परिकल्पित असदृश बैंकिंग संरचना युनिवर्सल बैंकिंग संस्थानों की अनुपूरक और प्रतिस्पर्धी होगी और विकासमान अर्थव्यवस्था की विविध ऋण जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।

*बैंकिंग क्षेत्र विनियम को सुदृढ़ और सुसंगत बनाना*

1.12 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल-III मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अंगीकृत किया है। समुन्नत पूंजी फ्रेमवर्क और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) जैसे चलनिधि अनुपातों और शीघ्र ही आ रहे निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के अलावा आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) और सहकारी बैंकों के विनियामक और पर्यवेक्षण

<sup>1</sup> आचार्य, विरल वी. (2017) 'भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का प्रकरण', भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में 4 जुलाई को सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में दिया गया प्रमुख अभिभाषण।

<sup>2</sup> पटेल, ऊर्जित आर. (2017), "फिनान्शियल रेग्यूलेशन एन्ड इकोनोमिक पॉलिसीज फार अवाइडिंग दि नेक्स्ट क्राइसिस", 32वीं वार्षिक जी30 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार, इन्टर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, वाशिंगटन, डी.सी., 15 अक्टूबर

फ्रेमवर्क को, विनियामक विवाचन के परित्याग के प्रयोजन से वाणिज्यिक बैंकों के समनुरूप किया जा रहा है।<sup>3</sup> इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों को अप्रैल 2018 से एआईएफआई और एनबीएफसी दोनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एनबीएफसी के लिए अनिवार्य औपचारिक पीसीए फ्रेमवर्क 30 मार्च 2017 से और समेकित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फ्रेमवर्क 8 जून 2017 से लागू किया गया है। एनबीएफसी के नाना प्रकार के वर्गों को युक्तिसंगत बनाते हुए कम वर्गों में समाहित कर दिया गया है। समेकन के माध्यम से

सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के अलावा सहकारी संरचना की परतों को भी कम किया गया है।

1.13 मध्यम अवधि लक्ष्य यही है कि निकाय आधारित विनियमन के स्थान पर क्रियाकलाप आधारित विनियमन की तरफ बढ़ा जाए। इस संदर्भ में अन्य न्यायक्षेत्रों के साथ-साथ वैश्विक वित्तीय संकटोत्तर अवधि में बासेल-III दिशानिर्देशों में विनियामक परिपाटी का उद्विकास एक रोचक अंतर्दृष्टि देता है जो भारत में परिकल्पित हो रहे दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करता है (बॉक्स 1.1)

### बॉक्स 1.1: बैंकिंग विनियमन में समानुपात-वैश्विक परिदृश्य

यह तर्क दिया जाता है कि संकटोत्तर वैश्विक विनियामक अनुक्रिया के कारण प्रबल किन्तु जटिल विनियामक विधान सामने आए हैं जिनका फोकस महत्वपूर्ण रूप से वित्तीय संस्थानों के सामने आने वाले प्रणालीगत जोखिमों पर काबू पाने पर है जबकि गैर-प्रणालीगत निकायों के संबंध में यह कष्टदायक है। परिणामस्वरूप, इससे बैंकिंग विनियमनों में 'समानुपात' के सिद्धांत को लेकर गहन-बहस छिड़ गई है, अर्थात् विनियामक अपेक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों से इतर बैंकों के लिए कितना उत्तम रूप से तैयार किया जा सकता है, खासकर छोटे और कम जटिलता वाले बैंकों के लिए (करवालहो, तथा अन्य 2017)।

समानुपातिक विनियमन दृष्टिकोण नया नहीं है। मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक मॉडल आधारित दृष्टिकोण दोनों ही प्रदान करते हुए बासेल-II के तहत बाजार जोखिम के चरित्र-चित्रण से इसकी शुरुआत हुई। बासेल-II के तहत पिलर-2 में समानुपातिकता के तत्व निहित हैं क्योंकि अपने निर्णय लेने में पर्यवेक्षकों को अलग-अलग बैंकों के आकार, जटिलता कारोबारी मॉडल और जोखिम प्रोफाइलों को हिसाब में लेने की अनुमति है। इस संदर्भ में बासेल-फ्रेमवर्क में सुझाव है कि राष्ट्रीय न्यायक्षेत्रों में उन घरेलू विनियमनों को अपनाया जा सकता है जो न्यूनतम का अतिक्रमण करते हों।

कुछ देशों ने पूंजी, चलनिधि और प्रकटीकरण के बारे में बासेल मानकों को बैंकों के एक बृहद समुच्चय पर लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ ने वित्तीय स्थिरता के लिए होने वाले जोखिम पर निर्भर करते हुए विनियमों के समानुपातिक प्रयोग का विकल्प चुना है। कुछ न्यायक्षेत्रों में लघुतर और

कम जटिल बैंकों के लिए विशिष्ट विनियामक मानकों को लागू किया गया है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के सूत्रपात के साथ ही समानुपातिकता के सिद्धान्त ने दिन-प्रतिदिन किए जाने वाले बैंक पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले ही लागू किए जा चुके अथवा छह न्यायक्षेत्रों यथा- ब्राज़ील, यूरोपियन संघ, हाँगकाँग एसएआर, जापान, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू करने के लिए योजनाबद्ध किए गए समानुपातिक दृष्टिकोणों (बासेल फ्रेमवर्क द्वारा की गई पेशकश से कहीं अधिक) की तुलना करने पर रोचक तथ्य सामने आते हैं (सारणी 1)।

यूएस और ब्राज़ील में बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर बासेल आधारित मानकों को लागू किया जाता है, यद्यपि अन्य बैंकों पर लागू वैकल्पिक विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ भी अनिवार्यतया कम कठोर नहीं हैं। ब्राज़ील, जापान और स्विट्जरलैंड में आकार/अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप के आधार पर बैंकों को विशिष्ट वर्गों में बांटा जाता है और एक ही वर्ग में आने वाले बैंकों पर विनियमनों का एक ही सेट लागू होता है, जबकि ईयू, यूएस और हाँगकाँग में एक निश्चित मानदंड पूरा करने वाले बैंकों के लिए विशिष्ट बासेल मानकों के अनुरूप नियमों को समायोजित किया गया है। बासेल मानकों से रियायत देने का कार्य चलनिधि फ्रेमवर्क, प्रकटीकरण अपेक्षाओं, प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिमों, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और बाजार जोखिम के आकलन में किया जाता है। पिलर-2 और बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम जैसे सिद्धान्त आधारित विनियम, विनियामकीय बोझ को कुछ और घटाने की गुंजाइश प्रदान करते हैं।

(जारी...)

<sup>3</sup> अंतर्निहित जोखिम को देखते हुए लाइसेंस प्राप्त नए एसएफबी के लिए 15 प्रतिशत की उच्चतर न्यूनतम पूंजी अपेक्षा निर्धारित की गई है, साथ ही यूनिवर्सल वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनुमेय विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों की शर्त भी लागू होगी। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित 4.5 प्रतिशत न्यूनतम लीवरेज अनुपात के स्थान पर 3 प्रतिशत की अपेक्षा सहित पीबी पर 15 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की शर्त भी लागू होगी। एनबीएफसी के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा भी 15.0 प्रतिशत रखी गई है। इसके अलावा सभी सहकारी बैंकों में पूंजी-विनियमनों को समानुरूपी बनाने के एक हिस्से के तौर पर अपेक्षित है कि 31 मार्च 2017 से 9 प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर बरकरार रखें। एआईएफआई के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के एक हिस्से के तौर रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि हिस्सेदारों के साथ विधिवत परामर्श करने के बाद बासेल-III मानकों के विभिन्न तत्वों को समाहित किया जाए।

**सारणी 1: समानुपातिक विनियमनों के लक्ष्यित क्षेत्र – चुनिंदा न्यायक्षेत्र**

बासेल पिलर/मुद्दे	ब्राज़ील	यूरोपियन संघ	हाँगकाँग एसएआर	जापान	स्विट्ज़रलैंड	अमेरिका
<b>पिलर 1</b>						
चलनिधि विनियमन (एलसीआर एवं एनएसएफआर)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम	हाँ*	हाँ*	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
वृहद एक्सपोजर प्रेमवर्क	हाँ*	हाँ	हाँ*	नहीं	हाँ	हाँ*
ऋण जोखिम	हाँ*	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
बाजार जोखिम	हाँ*	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
न्यूनतम पूंजी अनुपात	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
<b>पिलर 2</b>						
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम	हाँ*	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ*	हाँ
पूँजीगत योजना और पर्यवेक्षी समीक्षा	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
<b>पिलर 3</b>						
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ	हाँ*	हाँ*	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

\*: प्रत्याशित \*\*: दबाव परीक्षण सहित

स्रोत: कार्वाल्लो, अना पौला कैस्ट्रो, एस. होह्ल, आर. रसकोफ़ एवं एस. रूहनौ (2017), "प्रोपोर्शनलिटी इन बैंक रेग्युलेशन: ए क्रॉस-कंट्री कॉम्पेरिजन", एफ़एसआई इनसाइट्स नं. 1, अगस्त, फ़ाइनेंसियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)।

विनियमों में समानुपातिकता की वकालत करने में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल हैं- (I) विनियामक एजेंसियों, विनियमित प्रतिष्ठानों और ग्राहकों, जिन पर लागत का प्रभाव पड़ता है, पर विनियमन से पड़ने वाली लागत; (II) कतिपय विनियमों के कारण बैंकों के कारोबारी मॉडल में परिवर्तन के नजरिए से अनपेक्षित प्रभाव; (III) वित्तीय प्रणाली के भीतर आर्बिट्रेज अधिरोपित करने के लिए गैर-अनुपाती विनियमनों की संभावना, जिसके साथ कम-नियंत्रित संस्थाओं और पूंजी बाजार की तरफ अंतरण का खतरा भी है; (IV) छोटे प्लेयर्स के लिए विनियमन खर्चीले होते हैं इसलिए नए प्रवेशकर्ताओं के आगमन पर बैरियर बढ़ जाने से गैर-समानुपातिक विनियमों से प्रतिस्पर्धा में गिरावट की संभावना बनती है; (v) जब इन नियमों से वित्तीय प्रणाली के कुछ मूलभूत प्रकार्यों में व्यवधान पड़ता है तो अर्थव्यवस्था पर कुछ व्यापक खर्चे पड़ने की संभावना होती है। इस प्रकार समानुपातिक का आशय विनियमों की लागत और लाभों में संतुलन लाने से है। (यूरोपीय बैंकिंग अथॉरिटी बैंकिंग स्टेकहोल्डर ग्रुप, 2015)। समानुपातिकता से ऐसे नियम लाने चाहिए जो सरल हों लेकिन आवश्यक नहीं कि उनमें कठोरता भी न हो (कार्वाल्लो, तथा अन्य, 2017)।

**संदर्भ:**

कार्वाल्लो, अना पौला कैस्ट्रो, एस. होह्ल, आर. रसकोफ़ एवं एस. रूहनौ (2017), "प्रोपोर्शनलिटी इन बैंक रेग्युलेशन: ए क्रॉस-कंट्री कॉम्पेरिजन", एफ़एसआई इनसाइट्स नं. 1, अगस्त, फ़ाइनेंसियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)।

यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटीज बैंकिंग स्टेकहोल्डर ग्रुप (2015), रिपोर्ट ऑन प्रोपोर्शनलिटी इन बैंक रेग्युलेशन, दिसंबर।

भारतीय रिजर्व बैंक (2016), "बासेल III कैंपिटल रेगुलेशन", मार्च 31, <https://rbldocs.rbl.org.in/rdocs/content/pdfs/58BS300685FL.pdf> पर उपलब्ध।

**डिजिटलइजेशन को बढ़ावा और प्रोद्योगिकी समर्थित वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन**

1.14 वित्तीय सेवाओं में बड़े पैमाने पर नवोन्मेषों की शुरुआत करने के लिए हाल ही में हुए प्रयासों<sup>4</sup> ने सहभागी वित्तीय संस्थानों और फिनटेक<sup>5</sup> दोनों ही के लिए बड़े अवसरों के मार्ग खोले हैं, जिनसे 'अंतिम मील' टच प्वाइंट का लक्ष्य

हासिल करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सरकार का स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम जिसका लक्ष्य नवोन्मेषों को बढ़ावा देना है, और इंडिया स्टैक प्लेटफॉर्म, जिसका लक्ष्य उपस्थितिविहीन, कागजमुक्त और नकदीरहित सेवा प्रदान करने हेतु कारोबारियों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को नवीनतम प्रोद्योगिकीय ढांचा प्रदान करना है, ताकि

<sup>4</sup> वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना, बाधा रहित वित्तीय लेनदेन की सुविधा हेतु आधार समर्थित ई-केवाईसी सत्यापन और बैंक खातों की लिंकिंग और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी प्रबल भुगतान अवसंरचना का विकास ताकि तत्काल ही वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान हो सके।

<sup>5</sup> फिनटेक को प्रोद्योगिकी समर्थित नवोन्मेष के रूप में परिभाषित किया गया है जो नए कारोबारी मॉडलों, अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं या उत्पादों का रूप ले सकती है, जिसका सहवर्ती वास्तविक प्रभाव वित्तीय सेवाओं के प्रावधान पर होगा (एफएसबी, 2017)।



फिनटेक<sup>6</sup> की तीव्र संवृद्धि के लिए प्रेरक परिवेश बन सके, जो वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों में नई प्रौद्योगिकी का संबल लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

1.15 वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिनटेक के नवोन्मेष कागज़ी मुद्रा का विकल्प ला रहे हैं, पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थन

के विभिन्न प्रकारों को और यहाँ तक कि चिरपरिचित मौद्रिक प्रणाली को चुनौती दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाले निकाय लगातार फिनटेक क्रांति के साथ जुड़े हुए अवसरों और जोखिमों को समझने पर फोकस बढ़ा रहे हैं (बॉक्स 1.2)। फिनटेक को विनियामक दायरे में लाने से समस्तरीय अवसर

### बॉक्स 1.2: फिनटेक क्रांति: प्रेरणा, अवसर और जोखिम

वैश्विक स्तर पर विगत कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी समर्थित नवोन्मेषों (यह फिनटेक के नाम से प्रसिद्ध है) का विकास खुदरा और थोक दोनों ही स्तरों पर काफी तेजी से हो रहा है। विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो फिनटेक क्रियाकलापों को वित्तीय सेवाओं के पाँच वर्गों में वर्गीकृत किया गया है; (I) भुगतान, क्लियरिंग और निपटान (II) डिपॉजिट, ऋण देना और पूंजी जुटाना; (III) बीमा; (iv) निवेश प्रबंधन; और (v) बाजार समर्थन।

फिनटेक परिदृश्य का उद्विकास हो रहा है। सन 2015 तक फिनटेक में वैश्विक रूप से निवेश तेजी से बढ़ा। इसके बाद, संयमित रहने के बावजूद यह प्रबल रहा, 274 सौदों के साथ 2017 की तीसरी तिमाही में 8.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का सकल निवेश हुआ (दि पल्स ऑफ फिनटेक क्यू3, 2017, केपीएमजी)। साथ ही साथ प्रमुख बाजारों में फिनटेक को प्रमुख रूप से अपनाया गया (चार्ट 1)। फिनटेक क्रियाकलाप भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि कतिपय न्यायक्षेत्रों में फिनटेक के बाजार आकार में तीव्र बढ़ोतरी से प्रकट होता है, यद्यपि समग्र क्रेडिट की तुलना में ये छोटे ही बने रहे (सारणी 1)।

फिनटेक क्रांति का संचालन करने वाली ताकतें इस प्रकार हैं; (I) वित्तीय लेनदेन में सहजता, गति, किफायत तथा प्रयोक्ता के लिए सुगम होने के कारण ग्राहक द्वारा तरजीह देना; (II) इंटरनेट, बिग-डाटा, मोबाइल टेलीफोनी, और कम्प्यूटिंग पावर से संबन्धित प्रौद्योगिकीय प्रगति; और (III) परिवर्तनशील

#### सारणी 1: न्यायक्षेत्रों के अनुसार फिनटेक क्रेडिट बाजार का आकार

	2013	2015
चीन	5,547	99,723
यूएसए	3,757	34,324
यूके	906	4,126
जापान	79	326
आस्ट्रेलिया	12	276
जर्मनी	48	205
फ्रांस	59	201
कनाडा	8	71
दक्षिण कोरिया	1	38
सिंगापुर	0	21
भारत	4	20

स्रोत: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2017), 'फिनटेक क्रेडिट: मार्केट स्ट्रक्चर बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंसियल स्टेबिलिटी इंप्लीकेशन', 22 मई।

वित्तीय विनियम और पर्यवेक्षी अपेक्षाएँ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में महत्वपूर्ण विकास के बावजूद सहभागियों द्वारा वित्तीय मध्यस्थन की उच्च लागत ने भी फिनटेक के अभ्युदय में योगदान किया; यह विद्यमान प्रणाली की अकुशलता की तरफ भी संकेत करता है। अनुमानों से ज्ञात होता है कि यूएस में मध्यस्थन की प्रति इकाई लागत विगत 130 वर्ष से 2 प्रतिशत के आसपास बनी रही, और संकट के बाद इसमें मामूली सी गिरावट हुई (फिलिपोन, 2017)। जर्मनी, यूके, फ्रांस, जैसे अन्य प्रमुख देशों में भी यह ऐसी ही अधिक है। इसका आशय यह हुआ कि आईटी में हुए विकास के लाभ वित्तीय सेवाओं के अंतिम प्रयोक्ता तक नहीं पहुंचे हैं।

यद्यपि वर्तमान में वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र के सापेक्षतया फिनटेक का आकार छोटा ही है, (बीसीबीएस कंसल्टेटिव डाक्यूमेंट, बीआईएस, अगस्त 2017) तथापि वित्तीय सेवाओं की डिलिवरी और डिजाइन के तरीके के साथ-साथ इसमें भुगतान, क्लियरिंग और निपटान में निहित प्रक्रियाओं में मूलभूत परिवर्तन करने की संभावना निहित है (ब्रेनार्ड, 2016)। आज यह समूची वित्तीय सेवाओं की मूल्यवत्ता की कड़ी में जुड़ गया है और इस प्रक्रिया में इसने बैंकों द्वारा (जारी...)

चार्ट 1: फिनटेक अडापशन रेट<sup>7</sup>



स्रोत: ईवाई फिनटेक अडापशन इन्डेक्स, 2017, Ernst & Young.

<sup>6</sup> पीडबल्यूसी की फिनटेक ट्रेंड्स रिपोर्ट, 2017 में कहा गया है कि भारत में वित्तीय सेवाओं के 95 प्रतिशत सहभागी फिनटेक पार्टनरशिप लेने का प्रयास कर रहे हैं।

पारस्परिक मध्यस्थन के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा/उसे चुनौती देने की संभावना प्रदर्शित की है। फिनटेक का वास्तविक वायदा इस बात में है कि इसने बैंकिंग को खोलकर इसके कोर प्रकार्यों यथा- भुगतानों का निपटान, परिपक्वता अवधि पर संपरिवर्तन करना, जोखिमों को साझा करने और पूंजी आवंटन के तौर पर ला दिया है (कारने 2017)। इस संभावना का संचालन नए आगंतुकों यथा- भुगतान सेवा प्रदाताओं, समूहकों और रोबो सलाहकारों, पियर-टू-पियर ऋणदाताओं, और नवोन्मेषी ट्रेडिंग मंचों द्वारा किया जा रहा है।

चूंकि अभी बहुत से फिनटेक नवोन्मेषों का परीक्षण सम्पूर्ण वित्तीय चक्र में नहीं हुआ है, इसलिए वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में संभावित लाभों और जोखिमों दोनों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। संभावित लाभों में शामिल हैं- (I) विकेन्द्रीकरण और गैर वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा बढ़ता हुआ मध्यस्थन; (II) वित्तीय प्रणाली की वृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता, स्पर्धा और स्वस्थ प्रतिक्रिया; और (III) वृहत्तर वित्तीय समावेशन और आर्थिक संवृद्धि खासकर उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में (एफएसबी; 2007)। संभावित जोखिमों में शामिल हैं – (I) माइक्रो-वित्तीय जोखिम जैसे कि क्रेडिट जोखिम, लीवरेज, चलनिधि जोखिम, परिपक्वता बेमेलपन, और परिचालनगत जोखिम, खासकर साइबर और कानूनी जोखिम; और (II) वृहद-वित्तीय जोखिम जैसे कि अधारणीय क्रेडिट संवृद्धि, बढ़ती हुई अंतरसंपर्कनीयता या सह-संबंध, अति-आवर्तनीयता और सहभागी संस्थानों द्वारा अधिक जोखिम लेने के लिए संक्रमणकारी प्रोत्साहन दिया जाना।

एफएसबी (2017) ने दस मुद्दों की पहचान की है, जिनमें से तीन को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है, यथा- तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं से परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करना; साइबर जोखिमों को कम करना; और वृहद आर्थिक जोखिमों की निगरानी। इसके अलावा, इसमें सिफारिश की गई है कि सीमा-पारीय कानूनी मुद्दों और नियामक व्यवस्था पर राष्ट्रीय प्राधिकारणों को ध्यान देना होगा, बिग डाटा विश्लेषण हेतु अभिशासन और प्रकटीकरण फ्रेमवर्क तैयार करने होंगे, विनियमन दायरे का आकलन और इसे समय पर अद्यतन करना होगा। विनियामकों को यह भी चाहिए कि निजी क्षेत्र को विभिन्न पक्षों के साथ साझा-शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। संबंधित प्राधिकरणों के बीच सम्प्रेषण निर्बाध बने, नए क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता वाले स्टाफ की क्षमता बनाई जाए और डिजिटल मुद्राओं के वैकल्पिक विन्यासों का अध्ययन किया जाए।

यद्यपि इनमें बहुत से मुद्दे नए नहीं हैं, तथापि वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने, उत्तरदायी नवोन्मेष को बढ़ावा देने, और अधिक समावेशी वित्तीय प्रणाली का

विकास करने के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। जहां तक विनियमों का संबंध है तो ऐसी सहमति बन रही है कि इसका लक्ष्य फिनटेक के लिए प्रेरक परिवेश सृजित करने पर होना चाहिए, ताकि यह निवेशक के भरोसे और बाजार के विश्वास, दक्षता और सत्यनिष्ठा और वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व से समझौता किए बिना विकसित हो सके।

एफएसबी द्वारा फिनटेक के लिए विनियामक दृष्टिकोणों के परिकलन से प्रकट होता है कि "विनियामक सैन्डबॉक्स सर्वाधिक सामान्य मॉडल है, जिसमें उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण एक (नियंत्रित) परिवेश में किया जाता है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूके में इसका प्रयोग किया जाता है जबकि मेक्सिको, तुर्की और सउदी अरब इस मॉडल पर विचार कर रहे हैं, और इन्डोनेशिया अभी विनियामक सैन्डबॉक्स स्थापित करने की प्रक्रिया में है। फिनटेक फर्मों के साथ अंतःक्रियाओं को सुधारने और नवोन्मेषों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अन्य दृष्टिकोणों में "नवोन्मेष गतिवर्धक" और "नवोन्मेष केन्द्रक" इस अंतःक्रिया के अन्य प्रकार हैं।

#### संदर्भ:

बेजोट, जी. (2013), "फाइनेंशियल कंजमशन एन्ड द कॉस्ट ऑफ फायनेंस: मेजरिंग फायनेंशियल एफिशिएंसी इन यूरोप (1950-2007), *वर्किंग पेपर*, पेरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स"

ब्रेनार्ड, लाल (2016), "द अपोर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंजेज़ ऑफ फिनटेक", रिमार्क्स ऐट द कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसियल इन्नोवेशन ऐट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिज़र्व सिस्टम, वाशिंगटन, डी.सी., दिसंबर।

कार्ने, मार्क (2017), "द प्रोमिस ऑफ फिनटेक – समथिंग न्यू अंडर द सन?", स्पीच डेलीवर्ड ऐट द ड्यूश बंड्सबैंक जी20 कॉन्फ्रेंस ऑन "डिजिटल डिजिटिंग फाइनेंस, फाइनेंसियल इक्लुजन एंड फाइनेंसियल लिटरसी", वेसबाडेन, जर्मनी, जनवरी 25।

फाइनेंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (2017), "फाइनेंसियल स्टेबिलिटी इंप्लीकेशन्स फ्रॉम फिनटेक: सुपरवाइजरी एंड रेग्युलेटरी इश्यूज दैट मेरिट औथोरिटीज़", जून।

फिलिप्पोन, थॉमस (2017), "फिनटेक ओपर्च्युनिटी", *बीआईएस वर्किंग पेपर्स*, नं. 655, अगस्त।

बनेंगे और वित्तीय नवोन्मेषों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक भारत में फिनटेक की गतिविधियों से प्रस्तुत नियामक चुनौतियों हेतु उचित प्रतिसाद तैयार करने पर कार्य कर रहा है।

#### साइबर सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन

1.16 कम नकदी का प्रयोग करने वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने हेतु वित्तीय प्रणाली को डिजिटल बनाने की तरफ जो नीतिगत आग्रह किया जा रहा है वह वित्तीय लेनदेन

के निरापद और सुरक्षित होने पर टिका हुआ है जो सुदृढ़ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क से समर्थित हो। इसे स्वीकार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को यह सूचित किया जाता रहा है कि वे अपनी सुरक्षा संबंधी सुसज्जता में निरंतर आधार पर सुधार करते रहें। जैसा कि छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 में 8 फरवरी 2017 को किए गए प्रस्ताव के अनुसार एक अन्तर-अनुशासनिक स्थायी समिति का गठन किया गया जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान/उदीयमान प्रौद्योगिकी में अन्तर्निहित खतरों की सतत समीक्षा करेगी और साइबर सुरक्षा एवं समुत्पन्नशीलता को सुदृढ़ बनाने हेतु समुचित नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देगी।

### III. भावी दिशा

1.17 वित्तीय परिदृश्य में बैंकों को अपनी कारोबारी रणनीतियों को फिर से तैयार करने, ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बनाए गए उत्पादों का नवोन्मेषण करने और ग्राहक-केन्द्रित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में दक्षता में सुधार लाने की जरूरत होगी, ताकि वित्तीय मध्यस्थों के रूप में वे अपनी प्रमुख भूमिका को फिर से हासिल कर सकें। भारत के सापेक्षतया न्यून क्रेडिट पेनिट्रेशन<sup>7</sup> को देखते हुए यह एक नतीज भी हो सकता है ताकि ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके और निवेश चक्र को पुनः सजीव हो पाए।

1.18 जहां तक बैंकिंग प्रणाली में दबाव का संबंध है, तो बैंक आईबीसी का लाभ उठा सकते हैं, ताकि वे अपने-अपने तुलनपत्र को सुधार सकें और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए चिरस्थायी आधार पर अपने कार्यनिष्पादन में सुधार कर सकें। विनियमन निर्देशों की प्रतीक्षा करने की बजाए बैंकों को चाहिए कि वे अपनी तरफ<sup>8</sup> से दिवाला कार्रवाई हेतु वाद दायर करें ताकि अपनी आस्तियों का सर्वोत्तम मूल्य शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। साथ ही, बैंकों को

अपनी विवेकशीलता<sup>9</sup>, क्रेडिट मूल्यांकन और मंजूरी-उपरांत ऋण निगरानी को सुदृढ़ करना होगा ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति के जोखिम को अल्प किया जा सके। इस संबंध में एक पारदर्शी और समेकित पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) की स्थापना आसूचना विसंगति को दूर करने में सहायक होगी और क्रेडिट बाजार<sup>9</sup> की दक्षता में बढ़ोतरी होगी। विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018' में भारत की रैंकिंग में आया उछाल (पिछले वर्ष के 130वें स्थान से 100वां स्थान) 'क्रेडिट प्राप्त करने' में सहजता में हुए सुधार (स्कोर 65 से बढ़कर 75 हुआ) का द्योतक है।

1.19 आईबीसी में कारोबारियों के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया निर्धारित होने के साथ ही एक समेकित समाधान व्यवस्था बनने को है। लोक सभा में 10 अगस्त 2017 को प्रस्तुत वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक 2017 में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के कतिपय वर्गों के लिए संकट का समाधान प्रदान करने की अपेक्षा रखी गई है और विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के और लोक निधियों के उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु एक समाधान निगम (आर.सी.) की स्थापना हेतु सिफारिश की गई है। इससे आशा है कि सरकारी गारंटियों के विभिन्न प्रकारों के साथ संनिहित नैतिक खतरों की समस्या को निपटाने में भी मदद मिलेगी।

1.20 बढ़ती हुई अंतरसम्बद्ध वित्तीय प्रणाली में बैंक और वित्तीय संस्थान निगम अभिशासन में सुधार कर एक-दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। यह ज्यादातर आत्म नियंत्रण की प्रकृति का होता है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के रक्षोपाय होते हैं कि विनियामकों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और नियमों का अनुपालन निष्ठापूर्वक किया जाता है।<sup>10</sup>

1.21 ईसीएल रिपोर्टिंग प्रणाली की तरफ बढ़ने के कारण प्रावधान करने की अपेक्षाओं में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए

<sup>7</sup> भारत में गैर वित्तीय निगमों को बैंक क्रेडिट 2017 की पहली तिमाही में जीडीपी के लगभग 48 प्रतिशत पर था जबकि जी-20 में यह 93 प्रतिशत से भी अधिक है (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेन्ट)।

<sup>8</sup> आचार्य, विरल वी. (2017) 'अपूर्ण कार्य सूची : भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सेहत की बहाली', 8वें आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान में दिया गया भाषणा

<sup>9</sup> आचार्य, विरल वी. (2017) पूर्वोक्त।

<sup>10</sup> पटेल, ऊर्जित आर. (2017), पूर्वोक्त।



पर्याप्त पूंजी सृजित करके बैंक अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि वे 1 अप्रैल 2018 नए आइएफआरएस- अभिरूपित भारतीय लेखांकन मानकों का सम्पूर्ण अनुपालन कर सकें।

1.22 संभावित है कि बैंकों के ग्राहक/कर्जदार वित्तीय सेवाओं/ उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क और ब्याज दरों में अत्यधिक पारदर्शिता की मांग करें। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक के “निधि की सीमांत लागत (एमसीएलआर) पर आधारित ऋणदाता प्रणाली की कार्यपद्धति की समीक्षा हेतु आंतरिक अध्ययन दल” की सिफारिश है कि आंतरिक बेंचमार्क जैसे कि आधार दर या एमसीएलआर आधारित ऋण दर निर्धारण से हटकर एक बाह्य बेंचमार्क पर विचार करने की जरूरत है। इस समूह ने यह भी सिफारिश की है कि कर्ज की समूची अवधि में बाह्य बेंचमार्क का स्ट्रैड स्थायी रहना चाहिए, सभी परिवर्तनशील दर वाले कर्जों की पुनर्निर्धारण अवधि तिमाही में एक बार से घटाकर साल में एक बार की जाए और बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बाह्य बेंचमार्क के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई परिवर्तनशील दरों पर बड़ी जमा राशियां स्वीकार करें।

1.23 प्रौद्योगिकीय विकास और उत्पादों में नवोन्मेष का अवलंबन लेते हुए बैंक अपनी दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्दी दबाव का सामना करते हैं। इस संबंध में बैंक सुविधा रहित के साथ बैंकिंग करना संभवतः बैंकों को अन्य वित्तीय मध्यस्थों से ऊपर रखेगा जिसके लिए वे अपनी शाखा नेटवर्क का सहारा भी ले सकते हैं। इस पिरामिड के आधारक्षेत्र में आने वाले ग्राहकों के पास बड़े कारोबारी अवसरों की कुंजी है; फिनटेक विकास से वैश्विक रूप से जनसंख्या और/ अथवा छोटे कारोबारियों के अब तक शामिल नहीं हो पाए तबकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।<sup>11</sup>

1.24 भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं (लगभग 51 मिलियन इकाइयां

जीडीपी में 8 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पाद में 45 प्रतिशत, निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान प्रदान करती है और 120 मिलियन लोगों को रोजगार का योगदान), में फिनटेक ऋण कंपनियाँ और बाजार आधारित ऋणदाय वित्त का वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर सकती हैं, और छोटे कारोबारियों के सामने आने वाले वित्तीयन के बड़े अंतराल<sup>12</sup> को भर सकती हैं, यह लक्षण सभी ईएमई में पाया गया<sup>13</sup>, संभाव्य कर्जदारों के बारे में बड़े डिजिटल डाटाबेस की उपलब्धता, मोबाइल घनत्व, ई-कॉमर्स और स्मार्टफोन आधारित सेवाओं के प्रयोग से संभावित है कि एसएमई की ऋण-पात्रता का आकलन करने की लागत कम होगी। बैंक क्रेडिट निर्णय लेने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी अपना सकते हैं और/ अथवा चुस्त-दुरुस्त फिनटेक फार्मों के साथ रणनीतिक संबंध बना सकते हैं।

1.25 सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यमों के कारोबारी प्राप्यों को विविध वित्तदाताओं से वित्त प्रदान करने की सुविधा की संस्थागत व्यवस्था के रूप में कारोबारी प्राप्य डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) की शुरुआत की गई है। तीनों प्रतिष्ठान जिन्हें सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ था उन सभी को अंतिम प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए थे और वर्ष के दौरान वे परिचालन आरंभ कर चुके हैं।

1.26 ऐसे डिजिटल परिवेश में बैंकों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे अपनी समग्र जोखिम प्रबंधन संरचना के एक हिस्से के तौर पर प्रभावी साइबर-सुरक्षा नीति तैयार करें। साइबर-आक्रमणों से बैंकों के लिए प्रतिष्ठा का जोखिम पैदा होता है, क्योंकि इनसे ग्राहकों का विश्वास हिल जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस बारे में दिशानिर्देश जारी करता रहा है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाया जाए और लगातार साइबर सुरक्षा को प्रतिरोधी बनाने के लिए उद्योग के साथ समन्वयन किया जाए।

<sup>11</sup> पीडब्ल्यूसी की फिनटेक प्रवृत्ति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में छोटे-बड़े मिलकर लगभग 1500 फिनटेक स्टार्टअप कार्यरत हैं और इसमें से आधे तो विगत दो साल में ही आरंभ हुए हैं।

<sup>12</sup> डिलॉयट की रिपोर्ट ‘फिनटेक इन इंडिया : रेडी फॉर ब्रेकआउट’ जुलाई 2017 में प्रकाशित – इस रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि भारत के एमएसई खंड में क्रेडिट का अंतराल (30 मिलियन रुपये तक के वार्षिक राजस्व सहित) 8.33 ट्रिलियन रुपये है।

<sup>13</sup> विश्व बैंक के अनुसार (एसएमई फिनान्स ब्रीफ, सितंबर 1, 2015), ईएमई में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की एसएमई के लिए कुल क्रेडिट अंतराल 2.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर जितना अधिक है।

1.27 अंत में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ढांचागत परिवर्तन से गुजर रही है। ऐसी अवस्था में जनांकिकीय प्रौद्योगिकीय और वित्तीय परिवर्द्धनों का सम्पूर्ण लाभ उठाना उच्च और समेकित विकास के लिए बहुत अहम प्रतीत होते हैं। इसके लिए लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और फिनटेक प्रतिष्ठानों जैसे नए खिलाड़ियों के साथ रणनीतिपरक समन्वय

जरूरी होगा ताकि कुशल और किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाएँ/उत्पाद प्रदान किए जा सकें। वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा, वित्तीय बाजारों की सत्यनिष्ठा और वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व से समझौता किए बिना वित्तीय नवोन्मेषों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित समर्थक किन्तु विवेकपूर्ण कठोर विनियम इस शांत क्रांति के लिए अनिवार्य है।